न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलोदी

पिठासीन अधिकारी – **अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)**

वाद संख्या :– 371 / 2023
Gcms राजस्व No. 2018/00007

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. राणाराम पुत्र फुसाराम 2. गिरधारीराम पुत्र फुसाराम फौत के कायम मुकाम :– 2.1. आईदानराम पुत्र गिरधारीराम 2.2. भुराराम पुत्र गिरधारीराम 2.3. रेंवतराम पुत्र पुत्र गिरधारीराम 2.4. भंवरीदेवी पुत्री गिरधारीराम 2.5. उगुदेवी पुत्री गिरधारीराम सभी जाति लौहार निवासी जाखण तहसील बापिणी जिला फलौदी		1. प्रतापराम पुत्र श्री फुसाराम 2. गोपाराम पुत्र श्री नरपतराम 3. छोटाराम पुत्र श्री नरपतराम 4. दमाराम पुत्र श्री नरपतराम 5. माडु पत्नी श्री नरपतराम 6. शारदा पुत्री श्री नरपतराम 7. जैदी पुत्री श्री नरपतराम 8. पेमा पुत्री श्री नरपतराम सभी जाति लौहार निवासी ग्राम जाखण तहसील बापिणी, 9. बाबु देवी पत्नी छगनाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम आचिणा तहसील खींवसर जिला नागौर 10. लाछादेवी पत्नी श्री आसूराम जाति दर्जी निवासी ग्राम जाखण तहसील बापिणी 11. सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी

वाद धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद–प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–

अधिवक्ता वादी की ओर से :– श्री राजुराम चौधरी।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या(1 से 6):– श्री चन्दनसिंह।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या(7 से 10):– कोई नहीं।
अप्रार्थीगण सख्या (11) की ओर से :– राज–पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15/10/2025

वादी के हस्तगत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम जाखण के खसरा नम्बर 1049/1 रकबा 5.0990 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 987 रकबा 2.3634 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 986 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी भूमि स्थित है वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का विधिवत बन्टवाड़ा करवाने के लिए वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 06 ओर से चन्दनसिंह अधिवक्ता व प्रतिवादीगण संख्या 07 से 10 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए। जिनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी और प्रतिवादीगण संख्या 00 से 06 की ओर से कोई जबाब पेश नहीं

करने पर वादीगण अधिवक्ता ने उभय पक्ष वादीगण के कब्जे काश्त अनुसार चक्कबन्दी करतें हुऐ अपने हिस्से की जमीन का बन्टवारा करना स्वीकार करने पर प्राथमिक डिक्री पर्चा दिनांक 29.01.2025 को जारी कर तहसीलदार बापिणी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया।

तहसीलदार बापिणी द्वारा तत्कालीन सहायक कलक्टर एंव उप–खण्ड अधिकारी लोहावट की तकास्मा रिपोर्ट तेहरीर दिनांक 12.02.2025 की अनुपालना में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ नोटिस क्रमाक 1083 से 1089 दिनांक 17.07.2025 को उभयपक्षकारों को सुचना देकर दिनांक 19.08.2025 को मौके पर उपस्थित रहने के बाबत जारी कर तय दिनांक को तहसीलदार बापिणी स्वयं मौके पर पहुचकर उभयपक्षकारों की उपस्थिति में विवादग्रस्त भूमि पर मौके के अनुसार हिस्सा व कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। उभयपक्षकारों तथा अन्य मौतबिरानों की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.09.2025 को इस न्यायालय को प्राप्त हुये जिन्हें शामिल मिसल किया गया।

चूकि न्याय का सिद्वान्त यह कहता हैं कि अन्तिम निर्णय किये जाने से पुर्व प्रभावित पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष अपना मत रखने का हर संभव अवसर दिया जाना चाहिये। इसी सिद्वान्त की पालना करते हुऐ वादीगण एंव प्रतिवादीगण को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये पत्रावली को बहस के लिए नियत किया गया।

बहस के दौरान यह पुनः स्पष्ट हुआ कि वादीगण के वाद का मुख्य अनुतोष बंटवाडे. का हैं। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी मांग को दोहराते हुये विवादग्रस्त भुमि का माफिक विभाजन प्रस्ताव बंटवाडा किया जा कर खाता अलग किये जाने की मांग की। अधिवक्ता प्रतिवादीगणों ने कोई विरोध नहीं किया गया। ऐसे में विभाजन प्रस्ताव स्वीकार मंन्जुर किये जाने योग्य हैं।

अतः वादीगण एंव प्रतिवादीगण की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के समय दोनों अधिवक्ताओं द्वारा व्यक्त किये गये तथ्य ओर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का यह अभिमत हैं कि एक रेकर्डेड खातेदार विभाजन करवाने का अधिकार रखता हैं और तहसीलदार बापिणी द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मंजूर योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं तथा वादीगण के वाद को माफिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री योग्य पाया गया हैं।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जाखण में स्थित वादीगण एंव प्रतिवादीगण की खातेदारी भुमि का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि

क्रम संख्या	नाम खातेदार	हिस्से मे रखे खसरे के नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	राणाराम पुत्र फुसाराम जाति लौहार सा. देह खातेदार	987 986	1.8352 0.0405	बारानी–4 गै.मु ढाणी	
	योग	2	1.8757		

सहायक कलेक्टर बापिणी

2.	आईदानराम 1/5, भुराराम 1/5, रेंवतराम 1/5, पिता गिरधारीराम भंवरीदेवी 1/5, उगू देवी पुत्रीयां गिरधारीराम जाति लौहार सा. देह खातेदार	987 1049/1	0.1760 1.6997	बारानी–4 बारानी–4	
	योग	2	1.8757		
3.	प्रतापराम पुत्र फुसाराम 1/2, गोपालराम 1/8, छोटाराम 1/8, दमाराम 1/8 पिता नराराम, माडु पत्नी नराराम 1/8 जाति लौहार सा. देह खातेदार	987 1049/1	0.3522 3.3993	बारानी–4 बारानी–4	
	योग		3.7515		

उक्त विभाजन प्रस्ताव सारणी अनुसार हिस्से में रखते हुऐ तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी नाम व हिस्सेंनानुसार भूमि बंट में विभाजन प्रस्ताव अनुसार रखी जाती है अन्तिम विभाजन प्रस्ताव फर्द दिनांक 19/08/2025 निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार बापिणी तदनुसार अमल दरामद करें। अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो कर सम्बधित को पालनार्थ तेहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/10 /2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमिता विश्नोई (RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बापिणी